न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
उत्पाद अधिहरण वाद संख्या–144/2018
बिहार सरकार द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा बनाम मो0 अब्बास एवं अन्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
11.01.2019	**आदेश**	

उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

प्रस्तुत उत्पाद वाद वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा के पत्रांक–984/गो0, (नगर पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, दरभंगा) दिनांक–26.06.2018 से प्राप्त बहादुरपुर थाना कांड सं0–46/18 दिनांक 09.02.2018 में उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत जब्त वाहन बोलेरो पंजीयन सं0–BR2N-5026 को राज्यसात् करने हेतु अनुशंसा के आलोक में प्रारंभ की गयी है। सामान्य अनुक्रम में विपक्षी को कारण–पृच्छा हेतु सूचना निर्गत की गयी। तत्पश्चात् विपक्षी का प्रत्युत्तर प्राप्त है, जो अभिलेख पर संधारित है।

विद्वान् विभागीय अधिवक्ता का कथन है कि दिनांक 08.02.2018 को लंबित कांड में अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं रात्रि गश्ती के पश्चात् दिनांक 09.02.2018 को 5.00 बजे पंडासराय होते हुए थाना लौटने के क्रम में पंडासराय की ओर आ रही बोलेरो गाड़ी पुलिस गाड़ी को देखकर रेलवे क्रासिंग से पहले ही बैक कर भागने लगा, जिसे पुलिस गाड़ी से ओवरटेक करके घेरा गया, तबतक एक व्यक्ति भाग निकला। पकड़ाये गये व्यक्ति से नाम पता पूछने पर मो0 अब्बास, पिता–स्व0 मो0 अब्दुल गफूर, साकिन–रघेपुरा, थाना–बहादुरपुर बताया। पकड़ाये वाहन बोलेरो का पंजीयन सं0–BR2N-5026 लिखा पाया गया। दो स्वतंत्र साक्षी के समक्ष तलाशी के दौरान बोलेरो में रखे अंडे के 10 कार्टून लदा पाया गया। उसे बाहर निकलवाकर जब खोला गया तो उसमें Royal Stag Company का 375*ml* का 240 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद हुआ, जिस पर For Sale in Haryana Only एवं बैच नं0–0214 अंकित पाया। पूछने पर जब्त शराब के संबंध में कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। पुनः पूछे जाने पर अवैध शराब का कारोबार अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर करने की बात बतायी गयी। चूँकि बिहार में अवैध शराब का परिवहन/चौर्य व्यापार पूर्णतः प्रतिबंधित एवं एक दण्डनीय अपराध है। अतः जब्त वाहन को राज्यसात् होना चाहिये।

विपक्षी के विद्वान् अधिवक्ता का संक्षेप में कथन है कि विपक्षी निर्दोष है एवं इनके द्वारा किसी भी प्रकार का अपराध नहीं किया गया है। विपक्षी का यह भी कथन है कि इनके वाहन से किसी भी प्रकार का अवैध शराब की जब्ती नहीं की गयी है। कथित जब्त की गयी अवैध शराब की जब्ती सूची भी मुझे प्राप्त नहीं कराया गया है। विपक्षी के विद्वान् अधिवक्ता का विशेष रूप से कथन है कि पुलिस के द्वारा विपक्षी के वाहन को उनके घर से ले जाया गया है जबकि दुश्मनी व रंजिश के

कारण किसी अन्यत्र जगह पर विपक्षी के वाहन को अवैध शराब के उपयोग में दिखाते हुए जब्त किया गया है जो वास्तविक तथ्य के विपरीत है। अतः विपक्षी के वाहन को मुक्त करने की कृपा की जाय।

उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख पर संधारित कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि बहादुरपुर थाना कांड सं0–46/18 दिनांक 09.02.2018 में जब्त वाहन बोलेरो निबंधन सं0–BR2N-5026 से भारी मात्रा में शराब का परिवहन एवं चौर्य व्यापार किया गया है। विपक्षी द्वारा यह कहना कि जब्ती सूची उन्हें प्राप्त नहीं कराया गया, गलत है। जबकि जब्ती सूची में विपक्षी का प्राप्ति हस्ताक्षर अंकित है। विपक्षी की ओर से समर्पित प्रत्युत्तर के समर्थन में उनके द्वारा कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया।

बिहार राज्य में अवैध शराब का चौर्य व्यापार एवं परिवहन एक दण्डनीय अपराध है।

अतएव बिहार उत्पाद अधिनियम (यथा संशोधित) 2016 की धारा 58 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 56(घ) के तहत जब्त बोलेरो निबंधन सं0–BR2N-5026 को राज्यसात् करने का आदेश दिया जाता है।

आदेश की प्रति अधीक्षक उत्पाद, दरभंगा को अनुपालनार्थ भेजें।

आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें।

उपर्युक्त विवेचना के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा